राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 16/2014

बनवारी लाल कस्वा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
2. उपनिदेशक, माध्यमिक स्कूल शिक्षा, जोन चुरू।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 08.01.2014
आदेश की दिनांक : 18.01.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री महेन्द्र सिंह गुर्जर, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति आदेश दिनांक 19.12.1977 के द्वारा सहायक अध्यापक के पद पर हुई थी। आदेश दिनांक 15.03.1982 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी की सेवाओं को दिनांक 19.12.1977 से नियमित कर दिया गया। राज्य सरकार ने 9, 18 एवं 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर चयनित वेतनमान का लाभ प्रदान करने हेतु दिनांक 25.01.1992 को आदेश जारी किया था। आदेश दिनांक 26.12.1992 एवं आदेश दिनांक 10.05.1996 (अनुलग्नक–2) द्वारा अपीलार्थी को 9 एवं 18 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर प्रथम और द्वितीय चयनित वेतनमान का लाभ दिया गया। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 10.01.1997 (अनुलग्नक–3) द्वारा वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पदोन्नत किया गया। राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतनमान) नियम, 1998 दिनांक 01.09.1996 से लागू हुआ और परिणामस्वरूप उनके वेतनमान को 6500–10500 रुपये का वेतनमान प्रदान करते हुए संशोधित किया गया और संशोधित वेतनमान नियम 2008 दिनांक 01.09.2006 से लागू हुआ और उपरोक्त नियमों के आधार पर, उन्हें 9300–34800 रुपये का वेतन बैंड दिया गया और ग्रेड पे 4200 रुपये निर्धारित किया गया। अपीलार्थी को नियम 2008 के अनुसार 6500–10500 रुपये के वेतनमान को संशोधित करने के बाद 4200/– रुपये के वेतन बैंड पर निर्धारित किया गया। वरिष्ठ अध्यापक के संबंध में उक्त प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष आया और खंडपीठ ने फैसला सुनाया कि जिन अध्यापकों को दिनांक 01.07.1998 से पहले वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पदोन्नत किया गया था, वे लाभ के हकदार होंगे। अपीलार्थी का मामला भी उपरोक्त निर्णय के अंतर्गत

आता है। खंडपीठ के फैसले के बाद स्कूल शिक्षा के प्रधान सचिव ने एसीपी का लाभ देने के संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशक को दिनांक 12.10.2012 (अनुलग्नक–4) द्वारा पत्र लिखा। प्रत्यर्थी संख्या–2 ने आदेश दिनांक 23.01.2013 (अनुलग्नक–5) द्वारा अपीलार्थी को 27 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद तृतीय एसीपी का लाभ दिया जाकर दिनांक 01.09.2006 से 4200 रुपये के वेतन बैंड में रखा गया, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 16 पर अंकित है। अपीलाार्थी ने अपने अधिवक्ता जरिये दिनांक 19.06.2013 (अनुलग्नक–6) द्वारा डिमांड ऑफ जस्टिस का नोटिस प्रेषित किया परन्तु विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई।

अतः अपीलाार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 23.01.2013 (अनुलग्नक–5) को अपास्त किया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि दिनांक 01.09.2006 से ग्रेड पे रुपये 4200 के स्थान पर ग्रेड पे रुपये 4800 रुपये दी जावे और परिणामस्वरूप बकाया राशि भी 9 प्रतिशत ब्याज के साथ प्रदान की जाए।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि यह कि अपीलार्थी द्वारा उसे ग्रेड पे 4800/– स्वीकृत करने का अनुतोष चाहा गया है। राज्यादेश दिनांक 12.10.2012 के तहत् 01.09.2006 को वरिष्ठ अध्यापक पद पर 10 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर ही ग्रेड पे 4800/– देय होती है। अपीलार्थी की वरिष्ठ अध्यापक पद पर दिनांक 01.09.2006 को 10 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने के कारण ग्रेड पे 4200/– स्वीकृत की गयी है, जो नियमानुसार सही है। माननीय अधिकरण के समक्ष अपील पेश करने से पूर्व अपीलार्थी को विभाग के समक्ष अभ्यावेदन देना चाहिए था जो कि राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिये अपीलीय अधिकरण) के अधिनियम 1976 धारा 4 ए के अनुसार माननीय अधिकरण के समक्ष कोई अपील एडमिट उस समय की जाती है, जब अपीलार्थी के विरूद्ध ऐसा आदेश विभाग के द्वारा निकाला गया या नोटिस/अभ्यावेदन के 06 माह बाद अपील माननीय अधिकरण के समक्ष पेश कर सकता था लेकिन उपरोक्त प्रावधानों को नजरअंदाज कर अपील पेश कर दी। अपीलार्थी का विवाद पूर्व में ही उत्पन्न हो गया था जो कि अपील 2014 में पेश की गयी। अतः उस समय अपीलार्थी के द्वारा माननीय अधिकरण के समक्ष अपील पेश नहीं की इसलिए भारतीय मर्यादा अधिनियम की धारा–05 एवं राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिये अपीलीय अधिकरण) अधिनियम 1976 के प्रावधानों की धारा–09 के अनुसार इतने लम्बे समय के बाद माननीय अधिकरण के समक्ष विलम्ब के आधार पर इस प्रकार का प्रकरण प्रस्तुत नहीं किया जा सकता हैं। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज किए जाने योग्य है।

हमने अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान अधिवक्ता की अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अनुशीलन कर मनन किया गया

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी को 9 एवं 18 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर प्रथम एवं द्वितीय चयतिन वेतनमान का लाभ नियमानुसार दिया जाना स्वीकार्य स्थिति है। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 01.09.2006 से ग्रेड पे 4200 के स्थान पर ग्रेड पे 4800 दिए जाने का अनुतोष चाहा गया है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा निवेदन किया गया है कि अपीलार्थी की वरिष्ठ अध्यापक पद पर दिनांक 01.09.2006 को 10 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं होने के कारण ग्रेड पे 4200/– स्वीकृत की गयी है, जो नियमानुसार सही है।

उक्त तथ्यों के दृष्टिगत स्पष्ट है कि अपीलार्थी को तृतीय एसीपी के रूप में 4800/– ग्रेड–पे की नियमानुसार स्वीकृति संभव नहीं है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आदेश दिनांक 12.10.2012 (अनुलग्नक–4) की हिन्दी प्रति प्रस्तुत की है। इसमें यह अंकित है कि शंका या सशंय की स्थिति में अंग्रेजी का आदेश जो दिनांक 12.10.2012 को जारी किया गया है, प्रभावी होगा। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा इन आदेश की अंग्रेजी प्रति प्रस्तुत की। अपीलार्थी ने अपील हिन्दी में जारी आदेश के आधार पर प्रस्तुत की है। जिसमें अध्यापक ग्रेड–III जो द्वितीय चयनित वेतनमान 6500–10500 में वेतन प्राप्त कर रहे थे तथा वरिष्ठ अध्यापक के पद पर दिनांक 01.07.1998 से पूर्व पदोन्नत हो गये थे। उन्हें तृतीय एसीपी में 4800/– ग्रेड पे का पात्र माना गया है, जबकि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत अंग्रेंजी भाषा के आदेश में वरिष्ठ अध्यापक के पद पर दिनांक 01.07.1989 से पूर्व पदोन्नति होने पर 4800/– ग्रेड पे हेतु पात्र माना है। अपीलार्थी द्वारा वरिष्ठ अध्यापक के पद पर डीपीसी द्वारा नियमित पदोन्नति करने विषयक कोई आदेश भी पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत पदोन्नति आदेश (अनुलग्नक–2) में उसे वरियता सूची वर्ष 1996–97 के आधार पर पूर्णतया आवश्यक एवं अस्थाई तदर्थ पदोन्नति 6 माह के लिए या डीपीसी से चयनित आशार्थी उपलब्ध होने तक पदोन्नति देने से संबंधित है। इसका आशय यह है कि अपीलार्थी को नियमित पदोन्नति इस तिथि के पश्चात ही हुई होगी।

अतः उक्त तथ्यों के मध्यनजर अपील बलहीन एवं सारहीन होने से खारिज की जाती है।

आदेश आज दिनांक.....को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)